निविदा फार्म मूल्य रूपये 2000/-

कार्यालय जिला पंचायत, दमदमा, उज्जैन
(प्रस्तावित हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 दिनांक 15.12.2023 से 26.12.2023 तक)

कार्य क्र.03 -माईक व्यवस्था

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,उज्जैन

विषय :- प्रस्तावित हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 हेतु माईक व्यवस्था कार्य संबंधी भाव प्रदाय विषयक ।

सन्दर्भ :- आपकी कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक .... ।

उपरोंक्त विषयांतर्गत आपके कार्यालय की समस्त शर्तो को मान्य करते हुए माईक व्यवस्था हेतु मेरे एक मुश्त दर पूरे मेला अवधि हेतु निम्नानुसार हैः-

क्र	कार्य का विवरण/सामग्री का विवरण	दर/भाव मेला अवधि हेतु सम्पूर्ण कार्य की एक मुश्त दर (समस्त टेक्स सहित)
01	मेला परिसर मे 02 स्टेज एवं प्रशासनिक कार्यालय मे माइक/एम्पलीफायर/मिक्स आडियो/माइक्रोफोन विथ स्टेण्ड/कैसेट प्लेयर/सी.डी.प्लेयर/कार्डलेस माइक व अन्य आवश्यकतानुसार कार्यक्षैत्र एवं कार्यक्रम की मांग अनुसार सम्पूर्ण व्यवस्थित ध्वनिसंचार व्यवस्था (उच्च क्वालिटी) करना ।	

संलग्नः- 01. धरोहर राशि जमा की छायाप्रति।
02. पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। (संस्था द्वारा)
03. दर प्रत्रक में दर भर कर स्केन कापी का पी.डी.एफ बनाकर ऑनलाई वित्तीय लिफाफे में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
04. शर्ते

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम--------------------

पता--------------------

कार्य क्रमांक 03–माईक व्यवस्था, कार्यालयीन शर्तो का पालन करना अनिवार्य है :–

01. निविदा अंर्तगत स्वीकृत दरे सम्पूर्ण मेला अवधी के लिये प्रभावशील रहेगी।
02. निर्धारित अवधि/समय पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार्य नही की जावेगी।
03. माईक व्यवस्था हेतु रूपये 10,000/– (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) धरोहर राशि ऑनाईन पोर्टल के माध्यम से जाम कराई जावेगी।
04. निविदा कार्यालय द्वारा जारी निविदा फार्म मे ही स्वीकार्य की जावेगी।
05. माईक व्यवस्था अंतर्गत लगने वाली सम्पूर्ण सामग्री की गुणवत्ता उत्तम होना आवश्यक है, पर्याप्त अतिरिक्त सामग्री मेला स्थल मे तैयार रखेगें जिससे व्यवधान/खराब होने की दशा मे तुरंत बदला जा सके।
06. कार्यादेश अनुसार मेला आरंभ के पूर्व दिनांक 12/12/2023 को दोप. 01.00 बजे तक कार्य पूर्ण करना होगा।
07. संपूर्ण मेला अवधि मे पूरे समय कार्य एवं व्यवस्था मे रखरखाव/संचालन हेतु पर्याप्त (कम से कम 04 व्यक्ति) हर समय उपस्थित रखना होगें।
08. यदि मेला अवधि मे वृद्धि होती है तो पूरी मेला अवधि हेतु स्वीकृत दर को आधार मानकर प्रति दिन के मान से अतिरिक्त अवधि का भुगतान किया जावेगा।
09. कार्य का सत्यापन कार्यालय द्वारा गठित समिति से करवाने के उपरांत ही देयक का भुगतान किया जावेगा तथा भुगतान की जाने वाली राशि मे से शासन नियमानुसार किये जाने वाली कटोत्रा राशि जैसे इनकम टैक्स आदि का कटौत्रा कर भुगतान योग्य राशि का भुगतान किया जावेगा। आयकर पेन नंबर की छाया प्रति संलग्न करें।
10. देयक राशि मे किसी भी प्रकार की सर्विस चार्ज/टैक्स आदि मान्य नही होगा। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सर्विस टैक्स या अन्य टैक्स निविदाकर्ता द्वारा जमा कराये जाने के उपरांत देंयक राशि का भुगतान किया जावेगा।
11. सेन्ट्रल एक्साइज विभाग अथवा वाणिज्यकर विभाग मे सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करे।
12. कार्यालय द्वारा कार्य हेंतु किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
13. कार्य व्यवस्था मे लगने वाली समस्त सामग्री की टूट–फूट,गुम होने आदि से होने वाली क्षति की जवाबदारी स्वयं की होगी। सामग्री की सुरक्षा स्वयं निविदाकर्ता को करना होगी ।
14. निविदा स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार एवं अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला पंचायत उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।
15. निविदा स्वीकृती के तत्काल पश्चात् दो दिवस मे समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार अनुबंध का निष्पादन निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे न्यायालयीन क्षैत्र उज्जैन रहेगा।
16. माईक व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध कराना होगी। विलम्ब की स्थिति मे होने वाले नुकसान एवं प्रदाय सेवा/सामग्री मे कमी/गुणवत्ता मे कमी की स्थिति मे धरोहर राशि राजसात की जावेगी एवं भुगतान की जाने वाली रााशि मे से कटोत्रा किया जावेगा।
17. माईक व्यवस्था हेतु ए एव ंबी श्रेणी प्रमाण–पत्र धारित कान्ट्रेक्टर होना आवश्यक है। प्रमाण–पत्र की छाया प्रति सलग्न करना अनिवार्य हैं।
18. मेला स्थल पर यदि अन्य कार्य हेतु व्यवस्था की जाती है तो उक्त व्यवस्था में माईक व अन्य आवश्यक व्यवस्था आपके द्वारा की जावेगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क नही दिया जावेगा।
19. समिति के सत्यापन उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जावेगा।
20. सामग्रियो की दरे जीएसटी सहित प्रस्तुत करना होगी। जीएसटी पृथक से देय नही होगा।
21. माईक व्यवस्था कार्य हेतु एक सुपरवाइजर मेला अवधि हेतु नियुक्त होना आवश्यक है जिसे समय–समय पर माईक व्यवस्था संबंधी निर्देश दिये जा सकें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, उज्जैन

उपरोक्त शर्त क्रमांक 01 से 21 मुझे मान्य है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :–

नाम एवं पता :–

मोबाईल नम्बर :–